न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग - 117 - 16 - 16

(1) कल्लन पत्नि लाखन यादव ,
(2) लाखन तनय मंडकिशोर यादव
निवासी ग्राम अनंतपुरा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

................आवेदिका

श्रीमती रजनी ... द्वारा आज दि. 11-01-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका/यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 688 / बी121 / 2010–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 01 / 10 / 2012 से परिवेदित होकर कर रही हैं। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 231 / 2 रकवा 0.400 है0 जो आवेदिका/ को 1987 में पटटा पर प्राप्त हुई थी, जो तभी से उसके नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है। जिसके संबंध में एक शिकायत अच्छेलाल नामक ब्यक्ति द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आवेदिका का पक्ष सुने बगैर ही म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

3– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि, उपरोक्त प्रकरण में ना तो तहसीलदार द्वारा किसी भी पक्ष का जबाब लिया, ना ही उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। जल्दबाजी में कार्यवाही की गई, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि, शिकायतकर्ता उपरोक्त भूमि पर स्वयं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 117 –दो/2016 जिला –टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश कल्लन आदि विरूद्ध शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.16	आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ जिला टीकमगढ का प्रकरण कमांक 688/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 1.10.12 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत की है । 2– आवेदिका द्वारा अपने आवेदनपत्र में लेख किया है कि ग्राम अनंतपुरा तहसील एवं जिला टीकमगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 231/2 रकवा 0.400 हैक्टर जो आवेदिका को 1987 में पटट्ा पर प्राप्त हुई थी, जो तभी से उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही है। जिसके संबंध में एक शिकायत अच्छेलाल नामक व्यक्ति द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आवेदिका का पक्ष सुने वगैर ही म0प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदकगण के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया। निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा–05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र का प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।	

होने से निगरानी समय धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र में विलंब का कारणसमाधानप्रद सीमा में मान्य की जाती है।

4– निगरानी के साथ संलग्न तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 1.10.12012 का अवलोकन किया गया तथा साथ में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 1.10.12 तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि वादग्रस्त भूमि आवेदिका के नाम से खसरा पांच साला में वर्ष 1988 से लगातार वर्ष 2012 तक राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त भूमि के खसरा पांचसाला की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा रामसेवक नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 221/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2011 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के यहां निगरानी भी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के नामांतरण पंजी क0 34 पर किये गये बंटवारे के संबंध में प्रस्तुत की गई है, जिससे भी वही आधर लिये गये हैं, जो तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र में लिये गये हैं, अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त निरस्त की गई निगरानी भी अवैध प्रविष्ट करने विषयक ही है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 21.07.2011 के उपरांत तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश को

नजर अंदाज करके आदेश पारित किया है। आदेश से अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया है। आवेदिका द्वारा अपने जवाब में लेख किया है कि उसे भूमि पटट्ा पर प्राप्त हुई थी, इसकी भी कोई जांच नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त कार्यवाही संहिता की किस धारा के तहत की गई है, यह भी आदेश के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है, क्यों कि तहसीलदार को पटट्ा निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है, ना ही उन्हें 26 साल पुराने नामांतरण को निरस्त करने की अधिकारिता है। नामांतरण पंजी कमांक 34 पर दिनांक 16.2.2008 को किये गये बंटवारे के समय भी वैद्यता की जांच नहीं की गई, जिसमें वादग्रस्त भूमि बंटवारे में आवेदक –2 के नाम आई है।

5– अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 688/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 1.10.2012 निरस्त किया जाता है, तथा आदेशित किया जाता है कि ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 231/2 रकवा 0.400 हैक्टर पर आवेदक–2 लाखन लाल का नाम पूर्ववत दर्ज किया जावे । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे ।

सदस्य